पत्रांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/15(आ०)/पं०रा०

**बिहार सरकार**

**पंचायती राज विभाग**

प्रेषक,

**नजर हुसैन,**
अपर सचिव

सेवा में,

**संयुक्त सचिव–सह–**
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05/6/2026

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 04.06.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का वित्तीय वर्ष–2025–26 में भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 04.06.2026 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष–2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का वित्तीय वर्ष–2025–26 में भारत सरकार से प्राप्त Health Sector Grant की कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की राशि विभागीय राज्यादेश संख्या 33(रा०) दिनांक 24.12.2021 के आलोक में व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में कुल ₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. वित्तीय वर्ष–2026–27 में Health Sector Grant की उक्त अवशेष राशि एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.20(9)/FCD/2025-26 Release No. 219/2025-26 एवं Release No. 229/2025-26, दिनांक 31.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 का वित्तीय वर्ष–2025–26 में भारत सरकार से विमुक्त **कुल**

**₹7,47,97,64,000.00 (सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रूपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण की जाती है :–

राशि करोड़ में

| क्र० | वित्तीय वर्ष | मद | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | 2023-24 | Support for Diagnostic Infrastructure in the Primary Health Care Facilities-Sub Centres (Rural) | 63.2610 |
| 2 | 2024-25 | Support for Diagnostic Infrastructure in the Primary Health Care Facilities-Sub Centres (Rural) | 129.7154 |
| 3 | 2025-26 | Building-less sub centres, PHCs, CHCs | 555.00 |
| | | **Total** | **747.9764** |

**<u>सात अरब सैतालीस करोड़ सन्तानवें लाख चौसठ हजार रूपये मात्र</u>**

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0008–वित्त आयोग अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान" मद के "विषय शीर्ष 0008.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001960008 है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए Bank Of Baroda, SRI KRISHNAPURI, PATNA में 15 FC HEALTH SECTOR GRANT PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT के नाम से संधारित विभागीय खाता संख्या 18630100021845, IFSC Code-BARB0SRIKRI में अंतरित कर PFMS के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित State Nodal Agency/जिला परिषदों को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14(स्वी०) दिनांक 04.06.2026 के आलोक में अंतरित करायेंगे।

6. 15वीं वित्त अयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.20(9)/FCD/2025-26 Release No. 219/2025-26 एवं Release No. 229/2025-26, दिनांक 31.03.2026 से प्राप्त Health Sector Grant की राशि के वितरण, अंतरण, व्यय एवं योजना के क्रियान्वयन किये जाने से संबंधित आदेश/निदेश विभागीय राज्यादेश संख्या 33(रा०) दिनांक 24.12.2021 एवं भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 16.07.2021 में संसूचित है।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत एव आवंटित राशि का उपयोग/व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम–271(ङ) के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् का यह दायित्व होगा कि वे अपने अधिनस्थ संस्थाओं से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित Health Sector Grant की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

12. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

13. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–10/2021 के पृष्ठ संख्या ..69../टि० पर दिनांक 05/6/26 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

5/6/26

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Comm Exp\15th Fifth Finance Health Sector Grant\Letter.docx

ज्ञापांकः 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/15(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/6/2026
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/15(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/6/2026
प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, SPRC/निदेशक, पंचायती राज विभाग/प्रभारी पदाधिकारी–02, 13, 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), 06 एवं लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–10/2021/15(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 05/6/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Commt Exp\15th Fifth Finance Health Sector Grant\Letter.docx